अध्याय 4
वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता हैं । जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है । मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं । अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं । वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :

मोटरयान अधिनियम, 1988

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम(अधिनियम) 1991, तथा

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम(नियम), 1991

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है ।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं ।

वर्ष 2013–14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 38 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल तीन इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। वर्ष 2013–14 के दौरान इकाइयों के निरीक्षण का कम प्रतिशत(योजना इकाइयों का आठ प्रतिशत) विधानसभा व

लोकसभा चुनाव के कारण था।इसके अलावा, पिछले पॉच वर्षों[1] के दौरान निरीक्षण के प्रतिशतता की कमी दर्शाता है कि विभाग द्वारा इकाईयों की लेखापरीक्षा की समुचित योजना नहीं बनाई जाती है एवं आंतरित लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 51 में से 21 इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें ₹ 312.15 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जॉच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 36.82 करोड के 4,17,423 प्रकरण प्रकट हुए जो तालिका 4.1 में निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं :

तालिका 4.1

(₹ करोड में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**''मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में चलित वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा**	1	16.83
2.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	963	11.33
3.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,114	3.09
4.	अन्य	4,15,345	5.57
	योग	**4,17,423**	**36.82**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 22,564 प्रकरणों में ₹ 11.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रकार की कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 7 प्रकरणों में ₹ 1.16 लाख की राशि वसूल की गई।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ''मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोकसेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण'' की कार्यप्रणाली पर ₹ 16.83 करोड के राजस्व प्रभाव से सन्निहित एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 10.17 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरणों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

[1] 2009–10 से 2013–14 के बीच 274 इकाईयों के लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई जिसमें से केवल 108 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई, जो लगभग 39 प्रतिशत था।

4.4 मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनो पर कर का आरोपण एंव संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषतायें

- अपने विनिर्माण वर्ष से 15 का जीवनकाल पूरा कर चुके 75 वाहनों को मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने से प्रतिबंधित करने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.1)

- चूककर्ता वाहन स्वामियों के विरूध्द कोई कार्यवाई न करने के परिणामस्वरूप 270 वाहनों से ₹ 3.73 करोड की शास्ति सहित ₹ 7.28 करोड के कर का कम आरोपण विभाग द्वारा किया गया ।

(कंडिका 4.4.7.3)

- कर की गलत दर लागू किये जाने के बारे में पता लगाने में कराधान प्राधिकारी विफल रहे जिसके परिणामस्परूप 215 वाहनों पर ₹1.22 करोड के कर के अलावा ₹1.28 करोड़ की शास्ति आरोपित नही की जा सकी।

(कंडिका 4.4.7.4)

- ऐसे वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र कालातीत हो चुके थे, के पंजीकरण रदद करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाई नही की गई।

(कंडिका 4.4.7.7)

- 115 वाहनों के विरूध्द जारी किये गये ₹ 1.52 करोड़ के राजस्व वसूली मांग पत्रों के प्रकरणों में विभाग अनुवर्ती कार्यवाई करने में असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.8)

4.4.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग वाहनों पंजीकरण, वाहनों के लिए परमिट की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य में चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखता है। विभाग मध्यप्रदेश *मोटरयान कराधान अधिनियम(अधिनियम),*1991 व मध्यप्रदेश *मोटरयान नियम(नियम),*1991 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत वाहनों पर कर का आरोपण तथा वसूली, शास्ति तथा वाहनों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करता है।

परिवहन विभाग लोक सेवा वाहनों जिसमें "मंजिली गाडी" व "ठेका गाडी" शामिल हैं, के माध्यम से जनता के लिए सेवा प्रदान करता है।

"मंजिली गाडी" से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो भाडे या पारिश्रामिक पर छह से अधिक यात्रियों के, जिसमें वाहन चालक शामिल नही है, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए, अलग अलग यात्रियों द्वारा या उनकी और से दिये गये अलग अलग किरायों पर वहन करने के लिए, निर्मित या अनुकूलित है। तथा "ठेका गाडी" से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो भाडे या पारिश्रामिक पर पूर्णतः यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, या ऐसा कोई वाहन जो निर्मित या अनुकूलित न हो पर यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग मे लाया जाता है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72, 74 व 88 (9) के तहत मंजिली गाडी और ठेका गाडी के परमिट पॉच वर्ष के लिए जारी किये जाते है। ठेका गाडी के परमिट के संबंध में आवधिक नवीनीकरण आवश्यक है।

पिछली लेखापरीक्षाओं के दौरान मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में प्रचलित लोक सेवा वाहनों पर करों के निर्धारण व आरोपण के संबंध में नियमित रूप से अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरूप, ''मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में चलित वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण'' के विषय को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

4.4.2 संगठनात्मक ढांचा

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त(पआ) द्वारा किया जाता हैं । जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है । मैदानी स्तर पर 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षेपका), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अक्षेपका) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जिपका) हैं । अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं ।

4.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित की थी कि क्या :

- कर का निर्धारण,आरोपण,संग्रहण तथा छूट अधिनियमों और नियमों के अनुसार थे,
- अनुज्ञापत्रों/अनापत्ति प्रमाणपत्र /उपयुक्तता को जारी करने के लिए अधिनियमों/नियमों में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है,
- विभाग द्वारा जारी किये गये मॉग पत्रों, जब्त किये गये वाहनों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाई की गई है.

लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान, लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न पर आधारित थे :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाएं/अनुदेश; एवं
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मई 2010 में अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान (संशोधित) नियम 2010

4.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधी

विषय के अध्ययन के लिए हमने जनवरी 2014 से अगस्त 2014 के बीच 51 कार्यालयों में से चुने गये 17[2] कार्यालयों के अवधि 2009–10 से 2013–14 के अभिलेखों(अनुज्ञापत्र पंजी,अनापत्ति प्रमाणपत्र पंजी, वाहन/अनुज्ञापत्र समर्पण पंजी तथा पंजीकरण,कर,उपयुक्तता तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित कम्पयूटर डाटा बेस) नमूना जॉच की, जिन्हे यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नोडल अधिकारी ने अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र में ''वाहन''[3] पर, वाहनों के पंजीयन, करों के निर्धारण,आरोपण तथा संग्रहण के आनलाइन उपलब्ध डाटा की परीक्षा शामिल है। इस डाटा को वेब साइट www.mptransport.org.in यानि ई–सेवा पर इंटरनेट के माध्यम से जा सकता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए 06 मार्च 2014 को एक प्रवेश सम्मेलन प्रमुख सचिव,परिवहन विभाग के साथ आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2014 में शासन को सूचित किये गये तथा 05 सितम्बर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। शासन/विभाग के उत्तरों को समुचित रूप से कंडिकाओं में समाविष्ट किया गया है।

4.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किए गए सहयोग को स्वीकार करता है।

[2] क्षेपअ – भोपाल,ग्वालियर,इंदौर,जबलपुर,मुरैना,रीवा,सागर शहडोल तथा उज्जैन, जिपअ –बालाघाट,भिंड़,बुरहानपुर,दतिया,मंडला, राजगढ़ ,श्योपुर तथा टीकमगढ

[3] वाहन – वाहनों के पंजीयन तथा सड़क कर निकासी के लिए,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रासूके) द्वारा मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के लिए विकसित किया गया अनुप्रयोग(एपलीकेशन) साफ्टवेयर है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रणाली और अनुपालन के साथ ही अधिनियमों और नियमों में कमियों का पता चला। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आगामी कंड़िकाओं में की गई है :

4.4.7 नियमित रूप से मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने वाले लोकसेवा यानों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण

4.4.7.1 अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन न करना

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा दिनॉक 24 नवम्बर 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यात्रियों को सुरक्षित,निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला प्राधिकारी, किसी मंजिली गाडी का अनुज्ञापत्र मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा।

कोई भी मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र न जारी किया जाये:

(1)ऐसे वाहन जिन्होने अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूरे कर लिये है,उन्हें राज्य के भीतर साधारण मार्ग के लिए

(2)साधारण बस जिसकी बैठक क्षमता कम से कम 50+2 हो को, एक एकल यात्रा में 150 किमी या इससे अधिक लंबी दूरी के मार्ग पर चलने की अनुमति होगी।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 75 वाहनो पर विभाग अधिसूचना में निर्देशित दिशा निर्देशों को लागू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे वाहन जो अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष से पूर्ण कर चुके थे , वे अभी सडकों पर प्रचलित थे तथा नियमित रूप से कर अदा कर रहे थे। हमने यह भी देखा कि कराधान अधिकारी को इन वाहनों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने में कोई हिचक महसूस नही हुई, जिससे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नही हुआ साथ ही यात्रियों की जान का जोखिम भी था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमितताओं या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

4.4.7.2 लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण

म.प्र. मोटर यान नियम, 1994 के नियम 158(3) एवं परिवहन आयुक्त द्वारा दिनॉक 31.05.2005 को जारी निर्देशों के अनुसार वाहन का पंजीकरण करने वाला अधिकारी वाहन की बैठक क्षमता का

निर्धारण विभिन्न वाहन मेक के व्हील बेस/माडल के आधार पर मोटर यान अधिनियम के अनुसार करेगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सात[4] कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि वाहनों के मॉडल टाटा एल पी 1109/42 जिसका की व्हील बेस 4200 मिमी है तथा मॉडल टाटा एल पी 709/42 जिसका की व्हील बेस 3800 मिमी है,को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन के माडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता की तुलना में कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकृत किया गया था। वाहनों को उनकी बैठक क्षमता से दो से 10 सीट कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने से शासन को ₹ 9.84 लाख के राजस्व का नुकसान सहना पड़ा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को इस मामले पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

पुराने और नये वाहनों की बैठक क्षमता नियमों के अनुसार संशोधित की जाना चाहिए।

4.4.7.3 वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) व 13 के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी।कराधान अधिकारी जारी किये गये अनुज्ञापत्रों के अनुसार करों की वसूली और संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है, तथा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करेगा ।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 270 वाहनों पर कर की राशि ₹ 3.55 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.73 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड के राजस्व की शासन को प्राप्ति नही हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

[4] क्षेपअ – भोपाल,ग्वालियर,जबलपुर तथा सागर, जिपअ – बालाघाट,भिंड तथा मंडला

प्रवर्तन शाखा को वाहन कर एवं शास्ति का भुगतान किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

4.4.7.4 यानकर का कम आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान *अधिनियम* की धारा 3(1) के तहत राज्य में उपयोग के लिये लायी गई या राज्य में उपयोग के लिये रखी गई प्रत्येक लोक सेवा यान पर यानकर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से किया जावेगा। लोक सेवा वाहनों के मामले में कर की गणना, वाहन की बैठक क्षमता और अनुमति दिये गये मार्ग के आधार पर की जायेगी।यदि कर का संदाय निश्चित समयावधि में नहीं किया जाता है तो स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर *अधिनियम* की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति का दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 215 वाहनों पर गलत दर से कर जमा करने के कारण कम कर का भुगतान किया गया। कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड के वाहन कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.28 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

4.4.7.5 वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर वाहन के कर का भुगतान धारा 5 में उल्लेखित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के भुगतान के अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर चार प्रतिशत की दर से शास्ति का भी दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 158 वाहनों पर वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा एक माह से लेकर 46 माह तक के विलम्ब से किया गया था । किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो शास्ति का कर के साथ भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.68 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

4.4.7.6 कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11(5) तथा मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनॉंक 30 सितम्बर 2004 के अनुसार, किसी वाहन को एक कलेण्डर वर्ष में 45 दिवस से (एक साथ या टुकडों में) अधिक समय के समर्पण की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। उक्त अवधि से अधिक समय के समर्पण के लिये विशेष परिस्थितियों में केवल परिवहन आयुक्त(प आ) द्वारा लिपिबद्ध कारणों सहित अनुमति दी जा सकेगी और यदि कोई वाहन बिना इस प्रकार की पूर्व अनुमति लिये उक्त अवधि से अधिक समय के लिये समर्पित रहता है तो उसका पंजीयन और अनुज्ञा पत्र स्वमेव समाप्त माना जावेगी तथा मालिक को पुनः वाहन का पंजीयन कराना होगा व अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जॉंच की ओर पाया कि इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय के अभाव में 4,279 वाहनों में से 140 वाहनो को निर्धारित अवधि से, दो से 12 माह की अवधि के लिए परिवहन आयुक्त की अनुमति लिये बिना समर्पण की अनुमति दी गई, परिणामस्वरूप वाहन मालिकों को अनियमित रूप से ₹ 22.32 लाख कर के भुगतान की छूट प्राप्त हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमिततायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

सभी इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाना चाहिए ताकि राजस्व के क्षरण को रोका जा सके।

4.4.7.7 वाहनों की उपयुक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन

- **उपयुक्तता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना**

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 56 के अनुसार, किसी परिवहन यान को तभी विधिमान्यतः पंजीकृत समझा जायेगा, जब उसके पास ठीक हालत में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र हो। केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989 के नियम 62 के अनुसार, परिवहन यान के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 190(1) के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटरयान या ट्रेलर जिसमें कि कोई दोष है, और जिसे वह व्यक्ति जानता है या जिसे साधारण प्रयास द्वारा जाना जा सकता है तथा ऐसे वाहन का चालन दुघर्टना का कारण बन सकता है, तब उसे ₹ दो सौ पचास तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है, यदि इस तरह के दोष के परिणामस्वरूप किसी दुर्घटना में शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो तीन माह के कारावास या ₹ एक हजार के अर्थदण्ड या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 50 वाहनों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जो तीन से 57 माह से अतिदेय थे, नवीनीकृत नही कराये गये थे ,जबकि वाहन मालिक द्वारा कर का भुगतान नियमित रूप से किया गया था। सात[5] कार्यालयों में पंजीकृत 38 मैक्सीकेब वाहनों द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए जीवनकाल कर की अदायगी की गई थी, परन्तु वाहन मालिको द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र छह से 30 माह की अवधि व्यतीत जाने के बाद भी नवीनीकृत नही कराये गये, जो कि लोक जीवन के लिए खतरनाक था अतः इन वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र मान्य नही समझा जाना चाहिए था। विभाग द्वारा न तो उपयुक्तता प्रमाणपत्र अतिदेय हो गये वाहनों के पंजीयन रद्द करने के लिए के लिए कोई कार्यवाई की गई न ही चूककर्ता वाहन मालिकों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालने के अलावा इसके अलावा राजस्व की हानि भी हुई। ऐसे सभी वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र देय हो चुके है को लोक सुरक्षा के हित में उपयुक्तता प्रमाणपत्र समय पर जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमितितायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

शासन ऐसे समस्त वाहन जिनकी फिटनेस प्रमाणपत्र देय हो उनकी जॉच हेतु आवश्यक कदम उठाये ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके तथा लोक सुरक्षा हो सके।

- **उपयुक्तता प्रमाण पत्र का अनियमित रूप से जारी किया**

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम,1994 के नियम 48 के अनुसार, वाहन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र कर चुकता प्रमाणपत्र के साथ संलग्न होंगे।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 84 प्रकरणों में, वाहनों को एक से 57 महिनों की अवधि का ₹ 1.16 करोड़ का कर बकाया रहते भी हुए भी उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये, जो नियमों के दायरे के भीतर नही था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमितितायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

[5] क्षेपअ – ग्वालियर(5),क्षेपअ – इंदौर(5),क्षेपअ – जबलपुर(5),क्षेपअ – सागर(6),क्षेपअ – उज्जैन(7),जिपअ – बालाघाट(5) तथा जिपअ – भिंड.(5)

शासन को कर की अदायगी किये बिना व उपयुक्तता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने की प्रणाली बनाने पर विचार करना चाहिए।

4.4.7.8 बकाया वसूली हेतु अनुपालन प्रणाली तथा निगरानी का अभाव

- **राजस्व की बकाया राशि की वसूली हेतु अपर्याप्त कार्रवाई**

मोटरयान अधिनियम,1988 के के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी राज्य सरकार को देय राशि की वसूली के लिये स्वामी के विरूद्ध एक मॉग पत्र जारी करेगा। मॉग पत्र में समाविष्ट राशि मांग पत्र की तामील के सात दिवस में भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में कराधान प्राधिकारी द्वारा रकम की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के मध्य बकायादारों को जारी मॉग पत्र तथा जावक से संबंधित अभिलेखों की जॉच की। दिसम्बर 2010 से मार्च 2014 के बीच हालांकि 115 प्रकरणों मे ₹ 1.52 करोड़ के बकाया कर व शास्ति की वसूली हेतु मॉग पत्र जारी किये गये थे,जिसका वाहन स्वामियों द्वारा अभी भी भुगतान नहीं किया गया है परन्तु इसके पश्चात विभाग द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

विभाग द्वारा प्रत्येक लंबित प्रकरण की वसूली कार्रवाई की नियमित रूप से निगरानी करने तथा अनुपालन के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार करना चाहिए।

- **जप्तशुदा वाहनों की नीलामी में विफलता**

भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी देय राशि की वसूली चल सम्पत्ति की नीलामी कर भू–राजस्व के बकाया के रूप में कर सकेगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) क्षेपअ इंदौर तथा जबलपुर में जप्तशुदा वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जॉच की और पाया कि विभाग द्वारा अप्रेल 2009 से मार्च 2014 के बीच छह लोक सेवा यानों को उन पर देय राशि बकाया होने के कारण जप्त कर लिया गया था। परन्तु कराधान प्राधिकारी द्वारा इन वाहनों की नीलामी के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.24 लाख के कर की वसूली नही हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

4.4.8 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा यानों पर यानकर एवं शास्ति का आरोपण

4.4.8.1 कर की प्राप्ति न होना

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 88(9) के अधीन राज्य परिवहन अधिकारी (रापअ) द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं। तथा यानकर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से देय है। यदि वाहन स्वामी शोध्य कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असफल रहता है तो वो शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 125 वाहनों में से 31 वाहनों पर कर की राशि ₹ 28.46 लाख का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा *अधिनियम* एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 22.54 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 51.01 लाख के राजस्व की शासन को प्राप्ति नही हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

4.4.8.2 यानकर का कम आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(9) के अधीन राज्य परिवहन अधिकारी(रापअ) द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं। तथा यानकर *अधिनियम* की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से देय है। लोक सेवा यान के संबंध में कर का निर्धारण वाहन की बैठक क्षमता और उसके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर तय किया जाता है।यदि वाहन स्वामी पूर्ण कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असमर्थ रहता है तो वह *अधिनियम* की धारा–13 के अधीन शास्ति का भी दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 125 वाहनों में से 44 वाहनों पर कम दर से कर जमा करने के कारण कम कर का भुगतान किया गया है। कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 56.60 लाख के वाहन कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 61.66 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

4.4.9 ठेका गाडी के रूप में प्रचालित मैक्सी कैब यानों पर यान कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, राज्य में उपयोग के लिये लायी गई या उपयोग के लिये रखी गयी प्रत्येक मैक्सी कैब यान पर यानकर का उद्ग्रहण *अधिनियम* की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जावेगा, यदि स्वामी शोध्य कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असफल रहता है तो वह *अधिनियम* में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रेल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,015 वाहनों में से 350 वाहनों पर कर की राशि ₹ 99.57 लाख का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा *अधिनियम* एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 90.59 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के राजस्व की शासन को प्राप्ति नही हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

4.4.10 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ की गई है। हमने देखा कि '' मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोकसेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण '' से संबंधित विशिष्ट पहलुओं को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कवर नही किया गया था, जो यह दर्शाता है कि राजस्व के रिसाव के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित नही कि गई थी ।

इसके अलावा,सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC-National Informatics Centre),नई दिल्ली के साथ राज्य में सभी क्षेपअ के बीच राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क तैयार एक योजना शुरू की थी। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा दो सॉफ्टवेयर तैयार किये गये, वाहनों के पंजीयन, करों के संग्रहण, शास्ति आदि हेतु 'वाहन' साफ्टवेयर तथा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति, मोटर प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति आदि जारी करने हेतु 'सारथी' साफ्टवेयर विकसित किया गया।हांलाकि क्षेपका/अक्षेपका/जिपका के बीच डाटा बेस के इंटरलिंकिंग की कोई व्यवस्था नही है परन्तु परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सेंट्रल सर्वर के माध्यम से क्षेपका/अक्षेपका/जिपका के डाटा बेस का उपयोग किया जा सकता है।डाटा बेस जोडने के तंत्र के

अभाव में कार्यालय यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नही हैं कि वाहन मालिकों द्वारा कर की अदायगी ठीक ढंग से की जा रही है।

विभाग को विशेष रूप से मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के रूप में चलित वाहनों के लिए केंद्रीय रूप से उपलब्ध डाटा को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए ताकि कर राजस्व के रिसाव से बचा जा सके।

4.4.11 विभागीय पुस्तिका का अभाव

एक आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में यह आवश्यक है कि विभाग के विभिन्न विंगस के कार्य सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा बनाते हुए विभागीय पुस्तिका तैयार की जाये। परिवहन विभाग में शासन/विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली व जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई भी विभागीय पुस्तिका नही है। विभागीय पुस्तिका के अभाव में विभाग द्वारा वाहनों के पंजीकरण, करों के आरोपण आदि से संबंधित प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न चेक व बैलेंस को सुनिश्चित नही किया जा सकता।आगे यह भी देखा गया कि विभाग में कम्पयूटरीकरण के बाद कर के भुगतान या बकाया के संबंध में अभिलेखों/पंजियों का संधारण मेन्यूली रूप से नही किया जा रहा है। विभाग के कम्पयूटरीकृत सॉफ्टवेयर में करों के कम आरोपण, बगैर कर की अदायगी के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने, मॉगपत्र जारी करने आदि के बारे में कोई पता लगाने के लिए कोई चेकस उपलब्ध नही है। इन आवश्यक चेकस के अभाव में राजस्व के रिसाव को नही रोका जा सकता।

शासन को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए एक विभागीय पुस्तिका बनाने और उचित प्रणाली निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए।

4.4.12 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में विभाग के ध्यान देने योग्य अनुपालन और प्रणाली की कई कमियों का पता चला जिन्हें पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है ।हमारा निष्कर्ष है कि :

- अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे वाहन जिन्होनें ने अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष का जीवनकाल पूरा कर लिया था को भी मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र जारी करने के प्रकरण पाये गये;
- नियमों के अनुसार यात्री वाहनों की बैठक क्षमता संशोधित में अत्यधिक देरी ;
- करों के आरोपण,करों के कम दर से आरोपण और बकाया राशि की वसूली न होना ;
- परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा इकाई कार्यालयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति ;

- वाहनों को अनियमित रूप से उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने व कर प्राप्त न करने के प्रकरण ; तथा
- मॉगपत्र और जब्त वाहनों के प्रकरण में निष्क्रियता के प्रकरण भी देखे गये ।

4.5 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियॉं

हमने विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की एवं अधिनियमों/नियमों/ शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कर, शुल्क आदि की वसूली न होना/कम होना आदि के कई प्रकरण पाए गए जैसा कि इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में वर्णित है। ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। परिवहन प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं। परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती। शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके।

4.6 वाहनों पर कर व शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर धारा 13 के अनुसार चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षित है कि वह निश्चित कालावधि में रजिस्टर की समीक्षा करेगा और चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र क्रमांक 10/12 दिनांक 15.12. 1992 द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए।

4.6.1 हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) अभिलेखों(मॉंग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा–पत्रों, समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जॉंच की ओर पाया कि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य की अवधि से संबंधित नमूना जांच किये गये 16,562 वाहनों में से 1,553 वाहनों पर कर की राशि ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। कराधान प्राधिकारियों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्रमांक 4.2 में दर्शाये गये अनुसार ₹ 6.87 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

तालिका कं. 4.2

(₹ करोड मे)

कं.सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी/वाहनों की संख्या	अर्न्तविहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपित शास्ति	योग
1	19[6]	**मालवाहन/836**	4.10 से 3.13	1.62	1.10	2.72
2	19[7]	**आरक्षित वाहनों के रूप मे रखें गये लोकसेवा यान/412**	4.10 से 3.13	2.00	1.14	3.14
3	13[8]	**मैक्सी कैब/टेक्सी कैब/305**	4.08 से 3.12	0.56	0.45	1.01
	योग	**1,553**		**4.18**	**2.69**	**6.87**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने परं फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य छह कराधान प्राधिकारियों[9] ने बताया कि फरवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य कि पॉच प्रकरणों मे ₹ 74,000 की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 291 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे।

4.6.2 हमने (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) तीन जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[10] में अभिलेखों(माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा–पत्र समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जांच की और पाया कि 375 वाहनों की नमूना जाँच में 30 मोटर वाहनों के लिये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा अप्रेल 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि के दौरान एक माह से लेकर 25 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों

[6] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(क्षेपअ) – भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,इंदौर,जबलपुर,मुरैना,रीवा,सागर तथा शहडोल, अति.क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी(अक्षेपअ) – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना,कटनी तथा सतना, तथा जिला परिवहन अधिकारी(जिपअ) – बैतूल,दतिया,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

[7] क्षेपअ – भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,इंदौर,जबलपुर,मुरैना,रीवा,सागर तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना,कटनी तथा सतना तथा जिपअ – बैतूल,दतिया,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

[8] क्षेपअ – भोपाल,होशंगाबाद,इंदौर,रीवा, तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना तथा सतना तथा जिपअ – बैतूल,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

[9] क्षेपअ – भोपाल,,इंदौर तथा सागर, अक्षेपअ – छिंदवाडा तथा सतना तथा जिपअ –दतिया

[10] अक्षेपअ – गुना तथा जिपअ – बैतूल तथा रतलाम

द्वारा इसकी मांग की गई। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, गुना ने बताया (सितम्बर 2013) कि वाहन स्वामियों को वसूली हेतु मॉग पत्र जारी किये जायेगे तथा अन्य कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

4.7 अर्थमूवर एवं हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

दिनांक 28 दिसम्बर 2007 की अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहनों जैसे क्रेन, लोडर, अर्थमूवर, हार्वेस्टर इत्यादि के कर की दरों में उनके लदान रहित भार के अनुसार दरों में संशोधन किया गया था अर्थात 7,000 किलोग्राम तक ₹ 3,700 प्रति तिमाही और तत्पश्चात प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये ₹ 500 प्रति तिमाही। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 18 जिला/ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[11] में अभिलेखों (माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित नमूना जाँच किये गये 2,596 वाहनों में से 394 वाहनों (हार्वेस्टर, अर्थमूवर, क्रेन इत्यादि) पर कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.55 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर आरोपणीय ₹ 38.36 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य), चार कराधान प्राधिकारियों[12] ने बताया (मई एवं सितम्बर 2013 के मध्य) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 42,000 वसूल की जा चुकी हैं एवं 73 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं ।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

[11] क्षेपअ – ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना,कटनी तथा सतना, जिपअ – बैतूल,दतिया,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

[12] क्षेपअ – मुरैना,रीवा तथा सागर, जिपअ – छिंदवाडा

4.8 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण–पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम–81 में उल्लिखित फीस (मोटर साइकिल के लिये ₹ 50 एवं अन्य के लिये ₹ 200 प्रति वाहन) संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.01.2012 के अनुसार नियमानुसार व्यापार फीस वसूलनी थी।

हमने (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) 11 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[13] में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थी) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 3,00,016 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यवसायियों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरूद्ध व्यापार प्रमाण–पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, इन्दौर व छतरपुर ने बताया (मार्च 2013) कि व्यवसायियों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है। उत्तर में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जवकि कराधान प्राधिकारी, नीमच ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भविष्य में व्यापार फीस की वसूली नियमानुसार की जावेगी। शेष कराधान प्राधिकारियों[14] ने बताया (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) कि मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किये थे कि व्यापार फीस की वसूली केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

[13] क्षेपअ – होशंगाबाद,इंदौर,जबलपुर,रीवा तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,कटनी तथा सतना, जिपअ – बैतूल तथा नीमच

[14] क्षे.प.अ. – होशंगाबाद,जबलपुर,रीवा तथा शहडोल, अ.क्षे.प.अ. – छिंदवाडा,कटनी तथा सतना, जि.प.अ. – बैतूल

4.9 आधिक्य भार ले जाने वाले वाहनों से शमन शुल्क की कम वसूली

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, मालयानों द्वारा आधिक्य भार को ले जाने के लिये शमन शुल्क न्यूनतम ₹ 2,000 और अतिरिक्त राशि ₹ 1,000 प्रथम टन के लिये और उसके बाद ₹ 500 प्रति टन या उसके भाग आधिक्य भार के लिये होगा।

हमने (अप्रेल 2010 और मार्च 2013 के मध्य) सात सीमा चैक पोस्टों[15] में अवधि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य की अपराध पंजी के साथ मध्यप्रदेश कोषालय संहिता–6(म.प्र.को.सं.–6) की जाँच की और पाया कि 330 मालयानों द्वारा एक टन से 51 टन आधिक्य भार अपने रजिस्ट्रीकृत लदान वजन। (आर.एल.डब्ल्यू.) से अधिक ले जाया गया था। प्रभारी अधिकारी ने वाहन स्वामियों से वसूली योग्य शुल्क ₹ 11.69 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 5.09 लाख शमन शुल्क आरोपित एवं वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.60 लाख का शमन शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमारे द्वारा (अक्टूबर और दिसम्बर 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, प्रभारी अधिकारी दतिया व रतलाम ने बताया (नवम्बर 2013) कि चूककर्ताओं की वसूली से सूचित किया जायेगा, जबकि प्रभारी अधिकारी झाबुआ व नीमच ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भविष्य में मोटरयान अधिनियम के अनुसार वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

[15] कैम्हा,मझगवॉ(सतना),मालथोन(सागर),मुरैना,,पहाडीबंधा,संजय नगर(छतरपुर) तथा सेंधवा(बडवानी